

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
अल्प विकसित निर्यातक देश

1556. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि मौजूदा व्यापार समझौतों के अंतर्गत अल्प विकसित निर्यातक देशों (एलडीईसी) से शून्य सीमा शुल्क पर सुपारी का बड़े पैमाने पर आयात, विशेषकर कर्नाटक में, घरेलू सुपारी उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एलडीईसी से आयातित सुपारी की वर्ष-वार और देश-वार मात्रा कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने इस बात का कोई प्रभाव आकलन किया है कि इस प्रकार के शुल्क-मुक्त आयात प्रमुख सुपारी उत्पादक क्षेत्रों में कीमतों, किसानों की आय और बाजार स्थिरता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार का विचार एलडीईसी से सुपारी आयात के लिए शून्य-शुल्क लाभ की समीक्षा करने या घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) शुल्क छूट का फायदा उठाने के लिए एलडीईसी के माध्यम से सुपारी के संबंध में गलत घोषणा, तस्करी और मार्ग-निर्धारण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्प विकसित निर्यातक देशों (एलडीईसी) से आयातित सुपारी की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है:

देश	2022-23		2023-24		2024-25	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मात्रा (टन में)	कीमत(करोड़ रुपए में)	मात्रा (टन में)	मूल्य(करोड़ रुपये में)
बांग्लादेश	10	0.29	2946	110.38	12155	447.76
म्यांमार	32,228	883.10	3636	129.60	7569	278.24
भूटान	---	---	156	0.43	1436	3.89
कुल-योग	32238	883.39	6738	240.41	21160	729.89

स्रोत: सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय।

वर्ष 2024-25 के दौरान एलडीईसी (बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान) से आयात की गई सुपारी की मात्रा 21,160 टन थी, जो हमारे 14 लाख टन घरेलू उत्पादन का केवल लगभग 1.5% थी। इसके अलावा, एलडीईसी से आयात वर्ष 2022-23 में 32,238 टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 21,160 टन हो गया है, जिसका मुख्य कारण फरवरी 2023 में न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को 251 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 351 रुपये प्रति किलोग्राम करना है। ।

(ग) से (ड): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान सुपारी का वार्षिक औसत मूल्य 40,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर रहा है और इसमें कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। इसके अलावा, घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करने, आयात को प्रतिबंधित करने, घरेलू बाजार में घटिया गुणवत्ता वाली सुपारी को आने से रोकने और घरेलू कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए, सरकार ने फरवरी, 2023 में सुपारी का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 251 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 351 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड 'उत्पत्ति के मूल नियमों' की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना के अंतर्गत शामिल न होने वाले देशों में उत्पादित सुपारी को व्यापार समझौतों के तहत आयात शुल्क छूट का लाभ उठाकर डीएफटीपी वाले देशों के माध्यम से आयात न किया जाए। इसके अलावा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत सीमा शुल्क संगठन और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) हवाई/समुद्री और स्थलीय बंदरगाहों के माध्यम से भारत में सुपारी के अवैध परिवहन पर निरंतर निगरानी रखते हैं और अवैध आयात को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं।
